भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)/ MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, म.प्र. एवं छ.ग.,भोपाल/
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, MP & CG, Bhopal
आयकर भवन, 47 अरेरा हिल्स, नर्मदापुरम रोड, भोपाल, 462011/
AAYAKAR BHAWAN, 47, ARERA HILLS, NARMADAPURAM ROAD, BHOPAL-462011
Email: bhopal.pccit@incometax.gov.in

फ.सा.-प्र.मु.आय.आयु./एमपी/तकनीकी/विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी)/2025-26 दिनांक 29-01-2026

विज्ञापन

इंदौर में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की नियुक्ति

आयकर विभाग द्वारा प्रत्यक्ष कर मामलों में अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं से, इंदौर के अंतर्गत सत्र न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों और अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के रूप में अनुबंधित करने (engagement) के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | स्थानानुसार रिक्ति की संख्या निम्न है:-

क्रमांक	**तैनाती का स्थान**	**रिक्ति की संख्या**
1.	इंदौर	01

2. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की अवधि 03 वर्ष के लिए होगी। फीस की अनुसूची, पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी फाइल संख्या 279/Misc./M-77/2011-ITJ के निर्देश संख्या 02/2023 दिनांक 30-11-2023 द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अधीन होंगी ।

3. उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक अधिवक्ता, निर्धारित प्रपत्र (Proforma P1) में अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, (मप्र एवं छग), आयकर भवन, 47 अरेरा हिल्स, नर्मदापुरम रोड, भोपाल में या bhopal.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in पर ईमेल द्वारा, दिनांक 27-02-2026 सायं 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, नियम और शर्तें आदि आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in और/या www.incometaxmpcg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है और/या आयकर उपायुक्त (तकनीकी), कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, (मप्र एवं छग), आयकर भवन, 47 अरेरा हिल्स, नर्मदापुरम रोड, भोपाल से भी प्राप्त की जा सकती है ।

4. विशेष लोक अभियोजकों की योग्यता;

विशेष लोक अभियोजक के रूप में अनुबंधित होने के लिए एक व्यक्ति:

(क) एक वकील के रूप में अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए पात्र हो

(ख) आपराधिक मामलों में प्रैक्टिस वकील के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलो में ट्रायल का पर्याप्त अनुभव वांछनीय है।

5. अनुभव के प्रयोजन के लिए जैसा कि 2023 के सीबीडीटी निर्देश संख्या 02/2023 दिनांक 30-11-2023 में उल्लिखित है, पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि वर्तमान विज्ञापन की तिथि होगी। इस विज्ञापन से पहले प्राप्त या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। किसी भी संबंध में कमी पाए जाने पर भी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

6. यह विज्ञापन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मप्र एवं छग, भोपाल की पूर्वानुमति के बाद प्रकाशित किया जा रहा है।

-हस्ता.-
आयकर उपायुक्त [तकनीकी]
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मप्र एवं छग, भोपाल